न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बसिया (गुमला)।

आदेश

विविध वाद सं0 – 07/2017–18

अपीलार्थी – ..... लुलेन्द्र सिंह.....
बनाम
प्रतिपक्षी –..... बिरसा सिंह ..... वगैरह।

आदेश की क0सं0 एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

05.12.23

प्रस्तुत वाद अपीलार्थी लुलेन्द्र सिंह, पिता– थोनगो सिंह, ग्राम – पिम्पी थाना – कामडारा, जिला – गुमला के द्वारा मौजा – पिम्पी के खाता सं0 20,21 कुला रकबा 22.10 एकड़ भूमि के संबंध में अपील दायर किया गया।

वादगत् भूमि का विवरण

मौजा	खाता सं0	रकबा
पिम्पी	20,21	कुल रकबा 22.10 एकड़

अपीलार्थी के द्वारा दाखिल विविध वाद को सुनवाई हेतु इस वाद को ग्रहण किया गया। अपीलार्थी के द्वारा दाखिल विविध वाद में कहा गया है कि उक्त भूमि को गलत तरीके से उत्तरवादी के नाम दाखिल खारीज कर उत्तरवाद के नाम दर्ज किया गया है। अपील आवेदन पर कार्रवाई प्रारम्भ कर अपीलकर्त्ता एवं उत्तरवादी को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

अपीलार्थी की ओर से लिखित बहसः–

अपीलार्थी नोटिस प्राप्त कर अपने प्रधिकृत विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुए अपीलार्थी के द्वारा अपील किया गया है कि मौजा– पिम्पी थाना– कामडारा, जिला– गुमला खाता सं0 20 और 21 रिभिजनल सर्वे में घनश्याम सिंह बुधु सिंह, अर्जुन सिंह, तेतरू सिंह, सभी पिता– सिकारी सिंह और हली सिंह बली सिंह बलदेव सिंह सभी पिता मोकरो सिंह सम्मिलात खतियान में दर्ज है। आवेदक खतियानी रैयत के वंशज है। जिसकी वंशावली इस प्रकार है :–

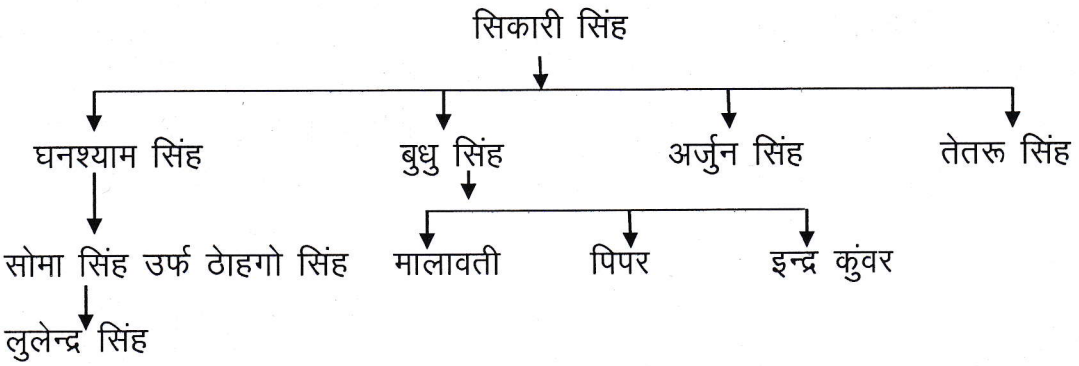

मोकरो सिंह,

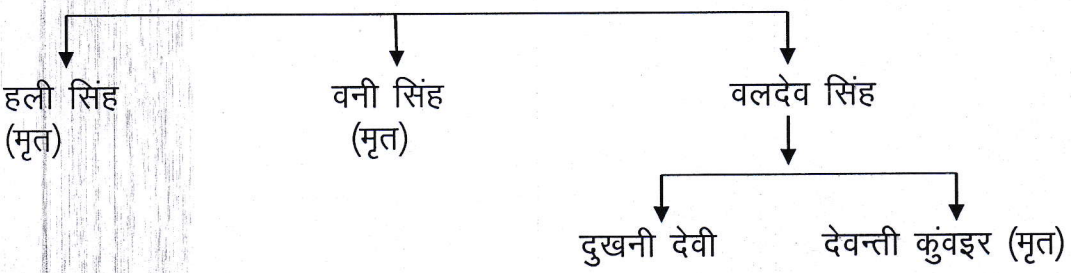

जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् और बुधारत के बाद खतियानी रैयत के वंशज ठोहगो सिंह व अन्य 5 (पाँच) के नाम रजिस्ट्रर–II में जमाबंदी कायम हुई। खतियानी रैयत घनश्याम सिंह एक पुत्र ठोहगो सिंह उर्फ सोमा सिंह को छोड़कर मृत हो गये और ठोहगा सिंह अपने पीछे एक पुत्र– लुलेन्द्र सिंह और पुत्री गुजो देवी छोड़ मृत हो गये बुधु सिंह अपने पीछे मालावती, पियर देवी एवं इन्द्रा कुंवइर को छोड़ मृत हो गये और अर्जुन सिंह और तेतरू सिंह नावल्द मृत हो गये । अपने वंशज एवं उत्तराधिकारी आवेदक तुलेन्द्र सिंह कि सन 1994–95 ये छोड़ मृत हो गये । हली सिंह और बली सिंह पिता–मोकरी सिंह नावल्द मूत हो गये और वलदेव सिंह अपने पीछे विवाहित पुत्री दुखनी देवी और देवन्ती कुंवइर को छोड़ मृत हो गये और वर्तमान में दोनों मृत हो गये तेतरू सिंह की देखभाल एवं भरन पोषण आवेदक लुलेन्द्र सिंह के पिता करते थे। और तेतरू सिंह के "श्राद्ध कर्म" आवेदक के पिता किये । खाता नं0–20 और 21 की जमाबंदी संयुक्त रूप से ठोहको सिंह व अन्य के नाम से कायम है और लगान रसीद भी संयुक्त रूप से टोटल रकवा 22.10 एकड़ का निर्गत हो रहा है। दिनांक 22.05.2017 को जब आवेदक अपनी रैयती जमीन का पेड़ काटने लगा तब विपक्षी के साथ विवाद होने लगा और विपक्षी कहने लगा कि खाता नं0 20 और 21 के आधा हिस्सा का जमाबन्दी मेरे नाम से है और सरकारी लगान रशीद दिवाया । उसके बाद आवेदक अंचल कार्यालय मे जाकर पता किया तो पता चला कि दोहरी जमाबंदी विपक्षी के नाम से चल रहा है लेकिन अभी भी वर्तमान में आवेदक और उनके पूर्वज का नाम से सरकारी लगान रसीद निर्गत हो रहा है और आवेदक लगान देते आ रहा है ।

आवेदक या आवेदक के पूर्वज कभी भी कोई जमीन विपक्षी को नहीं बेचे है और विपक्षी धोखाधड़ी से गलत तरीके से अपने नाम जमाबंदी कराया है। और संयुक्त जमीन कोई हिस्सेदार अकेले नही बेच सकता है। विपक्षी का पट्टा कभी भी अमल मे नही आया और न क्रिया– शील हुआ है । आवेदक या आवेदक के पूर्वज कभी भी जमीन से बेदखल नहीं हुए है और अभी भी उक्त जमीन पर शांतिपूर्वक दखलकार एवं काबिज है।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि उपरोक्त परिस्थिति एवं साक्ष्यों के आधार पर खाता नं0 20 और 21 के आधे जमीन पर विपक्षियों के दोहरे जमाबंदी को रद्ध किया जाय।

अपीलार्थी की ओर से दाखिल कागजात।

1. लिखित जवाब की छायप्रति।
2. खतियानी रैयत शिकारी सिंह व भोकड़ो सिंह की वंशावली छायाप्रति।
3. ऑफलाईन खाता सं0 21 टोटल रकबा 3.01 डी0 खाता सं0 20 टोटल रकबा 19.13½ए0 का रसीद
4. खाता सं0 20 एवं 21 का खतियान की छायाप्रति।
5. ऑनलाईन रसीद की छायाप्रति।

प्रतिपक्षी की ओर से दाखिल लिखित जवाबः–

उत्तरवादी नोटिस प्राप्त कर अपने प्रधिकृत विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुए एवं उक्त विविद् वाद में जवाब दाखिल किये है। मौजा पिम्पी, थाना कामडारा, जिला गुमला, खाता संख्या 20 और 21 रिमिजनल सर्वे में नेतरू सिंह और अन्य भाई धनश्याम सिंह, अर्जुन सिंह, बुधु सिंह, के पिता का नाम शिकारी सिंह हैं शिकारी सिंह के पुत्र नेतारु सिंह हैं। नेतरू सिंह के कोई बेटा या बेटी नहीं है। कोई संतान ना होने के करण उनकी देख भाल करने वाला कोई नहीं था । तो विपक्षी बिरसा सिंह अपनी सेवा भावना से हर प्रकार उनकी सेवा करते थे। नेतारू सिंह बिरसा सिंह के रिश्ते में मामा और भतीजे का रिश्ता था। नेतरू की देख भाल एवम उनका भरन पोषण बिरसा सिंह करते आ रहे थे। बिरसा सिंह की सेवा भावना देख कर अपनी खुशी से और अपनी इच्छा से कोई संतान ना होने के करण नेतरू सिंह ने अपनी हिस्से की जमीन को गिफ्ट के रूप में अपने भतीजे बिरसा सिंह को 11.00 एकड़ भूमि रजिस्टर द्वारा भूमि को बिरसा सिंह के नाम कर दिया गया ।

नेतरू सिंह ने दिनाक 8.12.1992 को रजिस्ट्री ऑफिस में गिफ्ट के रूप में अपनी हिस्से की भूमि का मालिकाना हक बिरसा सिंह के नाम कर दिया, बिरसा सिंह ने कानूनी प्रक्रिया जारी रखते हुऐ अपनी भूमि को 2.5.1993 को दाखिल खारिज कर पंजी 2 में नाम दर्ज कर अपनी कनूनी प्रकिया पुरी की। बिरसा सिंह के नाम से जमाबंदी चल रहा है और विपक्षी बिरसा सिंह सरकारी लगान रसीद निर्गत करते आ रहे हैं और बिरसा सिंह लगन देते आ रहे है। शिकारी सिंह के बेटे नेतरू सिंह ने खातायानी भूमि के अपने हिस्से की जमीन को गुप्त के रूप में बिरसा सिंह को लिख दिया। बिरसा सिंह अपनी भूमि पर 30 वर्षों से अधिक खेती करते आ रहे। विपक्षी उक्त जमीन पर शांति पुन दखल कार एवं खबीज हैं

अतः श्रीमान से निवेदन है की उपयुक्त बातो एवं सबूतो के आधार पर खाता संख्या 20 और 21 जमीन पर आवेदक को दोहरे जमाबंदी से रद्द किया जाय और उचित न्याय किया जाय।

प्रतिपक्षी की ओर से दाखिल कागजातः–

(1) शुद्धि पत्र की छायाप्रति।
(2) सरकारी लगान रसीद

निष्कर्ष

उपर्युक्त तथ्यों एवं अपीलार्थी एवं उत्तरवादी के दाखिल दस्तावेज लिखित जवाब, बहस सुनने एवं अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाद मौजा–पिम्पी के खाता सं0 20 एवं 21, कुल रकबा 22.10 एकड़ भूमि से संबंधित है। रजिस्ट्री पट्टा संख्या 2212/92 दिनांक 08.12.1992 बिरसा सिंह एवं बुधनाथ सिंह, पिता– गणेश सिंह (कौम रौतिया) ग्राम– पिम्पी, थाना–कामडारा, जिला– गुमला के नाम से दर्ज है। अंचल अधिकारी, कामडारा के जांच प्रतिवेदन में खाता सं0 20 एवं 21 कुल रकबा 22.10 ए0 भूमि खतियान में घनश्याम सिंह वो बुधु सिंह वो तेतर सिंह पे0– शीकारी सिंह एक हिस्सा बहिस्सा बराबर वो बली वो बलदेव सिंह व इली सिंह पे0–मोकरो सिंह एक हिस्सा बहिस्सा बराबरा कौम रौतिया शाकिनदेह के नाम दर्ज है।

पंजी–II के अनुसार मौजा– पिम्पी के खाता सं0 20 एवं 21 कुल रकबा 22.10 एकड़ पंजी–II वोल्युम 1 पृष्ठ 22 एवं 23 में ढोहगों सिंह वल्द घनश्याम वो मालावती वो ईन्द्रो, पिता– बुधु सिंह वो नेहरू सिंह पिता– शीकारी सिंह वो बोलो सिंह, पिता– मोकरो सिंह वो देवेती कुँवईर जौजे बलदेव सिंह के नाम दर्ज है।

स्थानीय जाँच के अनुसार मौजा– पिम्पी के खाता सं0 20 एवं 21, कुल रकबा 22.10 एकड़ भूमि पंजी– II रैयत के वंशज लुलेन्दर सिंह, पिता– ढोहगों सिंह उर्फ सोमा सिंह वगै0 का भूमि पर सम्मिलात दखल कब्जा है एवं उस पर खेती बारी कर रहे है। पंजी– II रैयत के कुछ वंशज वर्षो से अन्यत्र निवास करते है। वर्त्तमान में जमाबन्दी लुलेन्द्र सिंह और उनके पुर्वज के नाम चल रहा है। और तेतरू सिंह द्वारा बिरसा सिंह/विपक्षी के नाम से निर्गत पट्टा सं0 2276 दिनांक 04.12.1992 का भी अमल में नहीं आया और ना क्रियाशील हुआ।

अतः विविद वाद सं0 07/2017-18 को स्वीकृत किया जाता है। इस आदेश के प्रति अंचल अधिकारी, कामडारा को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

05.12.23

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
बसिया(गुमला)

05.12.23

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
बसिया(गुमला)

Digitally signed by SHEKHAR KUMAR
Date: 2024.07.19 13:05:12 +05:30
Location: 192.168.1.10